केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग
मुनरिका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
18 NOV 2020
D. No.......
Initials.......

CICOM/A/P/20/00094
CICOM/R/P/20/00254

अपीलकर्ता का नाम : श्री गिरीश कुमार सिन्हा
पुत्र– स्व0 श्री बच्चू प्रसाद
मोहल्ला–संतर, वार्ड नंबर–13,
लखीसराय, बिहार। पिन–811 311

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	30.05.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	17.07.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	23.10.2020
5.	निर्णय की तिथि	18.11.2020

वाद का संक्षीप्त विवरण :-

1. प्रार्थी ने दिनांक 30.05.2020 के अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा निस्तारित द्वितीय अपील संख्या CIC/SB/A/2016/000324 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में दिनांक 21.03.2020 को प्रेषित अपने पत्र, जो उपरोक्त द्वितीय अपील की पुनः सुनवाई के संदर्भ में थी, पर की गयी कार्रवाई की सूचना की मांग की थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :-

2. प्रार्थी के उक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि प्रार्थी का प्रश्नगत पत्र संबंधित अपील संचिका में लिंक कर दिया गया है और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. अपने उक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में प्रार्थी ने दिनांक 29.07.2020 को प्रथम अपील दाखिल करते हुए यह अभियोग लगाया कि दिनांक 30.05.2020 के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में उन्हें सूचना अप्राप्त है। इस संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई सेल, सीआईसी ने प्रार्थी को दिनांक 02.09.2020 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में उन्हें श्री आर0 पी0 ग्रोवर द्वारा दिनांक 17.07.2020 को जवाब प्रेषित कर दिया गया है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई सेल ने प्रार्थी को यह भी सूचित किया कि प्रार्थी के उपरोक्त द्वितीय अपील CIC/SB/A/2016/000324 में संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को

कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। अतः उक्त द्वितीय अपील के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्रवाई शेष नहीं है। उक्त द्वितीय अपील से संबंधित पत्राचार कर व्यर्थ अपना और आयोग का समय बर्बाद न करें।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई सेल के जवाब से व्यथित होकर प्रार्थी ने पुनः दिनांक 10.10.2020 को एक अन्य प्रथम अपील प्रेषित किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रदान की गयी सूचना के विरूद्ध कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की है।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ द्वारा प्रेषित जवाबों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से दिनांक 21.03.2020 के अपने एक आवेदन पर की गयी कार्रवाई की मांग की है।, जिस संदर्भ में उन्हें यह सूचित किया गया है कि प्रश्नगत पत्र संबंधित संचिका में लिंक कर दिया गया है और उपलब्ध सूचना के अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह परिकल्पित प्रश्नों का जवाब दे अथवा सूचना की व्याख्या करे। आयोग के निर्णय की व्याख्या एक जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने रिकार्ड के आधार पर तथ्यात्मक सूचना प्रदान कर दी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामलें में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक 18 नवम्बर, 2020

मीना शर्मा 18/11/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष: 26162290

प्रतिलिपि :-

1. **श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।**